रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2006/श्रावण 20, 1928

No. 368] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2006/SRAVANA 20, 1928

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 477(अ).-केन्द्रीय सराकर, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (तृतीय संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा), के नियम 4.17 में,–

(i) उप-नियम (2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) इस बीच यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछले स्टेशन से किसी गाड़ी का ब्लॉक स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, ब्लॉक स्टेशन को बंद करने का कार्य रोक देगा, और"

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(3) जहाँ किसी सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग धुरा काउंटर या ब्लॉक स्टेशनों के बीच अनवरत ट्रैक सर्किटिंग और अभिग्राही स्टेशन की नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर स्टेशन की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई हो तथा कार्य कर रही हो और जहाँ ब्लॉक सेक्शन की क्लीयरेंस का तथा दिए गए संकेत के आधार पर गाड़ी के पूर्ण आगमन का स्पष्ट संकेत हो, वहां यदि कोई गाड़ी उक्त उप-खंड (1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर खराबी को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए अगले स्टेशन को अग्रिम रूप से सूचित करेगा तथा ऐसे मामलों में उसे उप-नियम (2) के खंड (ख) तथा खंड (ग) में विहित निर्देशों के अनुसार उसे पिछले ब्लॉक खंड को बंद करने के कार्य को रोके रखने की आवश्यकता नहीं है ।

3. उक्त नियम के नियम 14.10 में,–

(i) उप-नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) इस प्रकार का संकेत देने से पहले, स्टेशन मास्टर विहित विशेष अनुदेशों के अनुसार इस बाबत अपना समाधान करेगा"

(ii) उप-नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(4) जहाँ किसी सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग धुरा काउंटर या ब्लॉक स्टेशनों के बीच अनवरत ट्रैक सर्किटिंग और अभिग्राही स्टेशन की नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर स्टेशन की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई हो तथा कार्य कर रही हो और जहाँ ब्लॉक सेक्शन की क्लीयरेंस का तथा दिए गए संकेत के आधार पर गाड़ी के पूर्ण आगमन का स्पष्ट संकेत हो, वहाँ इसको स्टेशन मास्टर के लिए गाड़ी के पूर्ण आगमन के आश्वासन के रूप में लिया जाएगा।"

[सं. 99/संरक्षा (ए एंड आर)/19/7]

एस. बी. घोष दस्तीदार, सदस्य, यातायात एवं पदेन सचिव

पाद टिप्पण : 1976 के मूल नियम सख्यांक सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :–

1. सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
2. सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983
3. सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983
4. सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984
5. सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992
6. सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996
7. सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998
8. सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999
9. सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999
10. सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999
11. सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000
12. सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000
13. सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000
14. सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000
15. सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000
16. सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002
17. सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002 और
18. सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2006

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4.17,—

(i) in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) meanwhile withhold the closing of the block section to ensure that no train is allowed to enter the block section from the station in rear, and"

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) Where in a section, a block proving axle counter or continuous track circuiting between block stations and complete track circuiting of station section excluding non-running lines of the receiving station is installed and is functioning and there is a clear indication of clearance of block section as well as complete arrival of the train as per indication given, if a train passes a station without conforming to the provisions of sub-clause (1) above, the Station Master shall still advice the station in advance to stop the train to see that the defect is remedied and he need not withhold closing of block section in rear as prescribed in clause (b) and (c) of sub-rule 2 in such cases."

3. In the said rules, in rule 14.10,—

(i) for sub-rule 2, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Before such signal is given, the Station Master shall satisfy himself as per the prescribed special instructions"

(ii) for sub-rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Where in a section, a block proving axle counter or continuous track circuiting between block stations and complete track circuiting of station section excluding non-running lines of the receiving station is installed and is functioning and there is a clear indication of clearance of block section as well as complete arrival of the train as per indication given, it would be taken as assurance for complete arrival of the train to the Station Master."

[No. 99/Safety (A & R)/19/7]

S. B. GHOSH DASTIDAR, Member Traffic & ex-officio Secy.

Note : The principal rules of 1976 were published *vide* number GSR 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* number :—

1. GSR 320 dated the 16th April, 1983
2. GSR 352 dated the 30th April, 1983
3. GSR 514(E) dated the 27th June, 1983
4. GSR 476(E) dated the 28th June, 1984
5. GSR 245 dated the 23rd May, 1992
6. GSR 83 dated the 17th February, 1996
7. GSR 101 dated the 23rd May, 1998
8. GSR 47 dated the 13th February, 1999
9. GSR 213 (E) dated the 18th March, 1999
10. GSR 283(E) dated the 26th April, 1999
11. GSR 581 (E) dated the 3rd July, 2000
12. GSR 708(E) dated the 6th September, 2000
13. GSR 852(E) dated the 8th November, 2000
14. GSR 893(E) dated the 24th November, 2000
15. GSR 913(E) dated the 12th December, 2000
16. GSR 394(E) dated the 31st May, 2002
17. GSR 842(E) dated the 27th December, 2002 and
18. GSR 221(E) dated the 19th April, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.